संख्या: 34/2021/1372938 /12-2099/96/2021-

प्रेषक,

डॉ0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 15 जून, 2021

विषय: मा0 उच्चतम न्यायालय तथा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन0जी0टी0) के आदेशों के क्रम में कृषक सहकारी समितियॉ/गन्ना समितियॉ/औद्यानिक समितियॉ/पंचायतों को फार्म मशीनरी बैंक स्थापना हेतु फसल अवशेष प्रबंधन के यंत्र उपलब्ध कराया जाना।

महोदय,

अवगत कराना है कि प्रदेश में धान के अवशेष जलाने की घटनाओं को देखते हुए मा0 उच्चतम न्यायालय एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन0जी0टी0) द्वारा कृषकों को आसान/सस्ते दरों पर फसल अवशेष प्रबंधन हेतु उपयोगी कृषि यंत्र उपलब्ध कराने हेतु सहकारी समितियों/ग्राम पंचायतों को फार्म मशीनरी बैंक स्थापना हेतु यंत्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं। इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फॉर इन-सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्राप रेजीड्यू योजना हेतु जारी की गयी गाइड-लाइन में सहकारी समितियों एवं ग्राम पंचायतों को अनुदान पर फार्म मशीनरी बैंक स्थापना हेतु यंत्र उपलब्ध कराने के दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

2. **<u>फार्म मशीनरी बैंक स्थापना हेतु अनुदान का विवरण:</u>**

(i) रूपये 5.00 लाख तक के कृषि यंत्र, प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फार इन-सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्राप रेजीड्यू योजना में निर्धारित यंत्रों पर 80 प्रतिशत अनुदान।

(ii) रूपये 5 से 15 लाख तक के कृषि यंत्र सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना में निर्धारित यंत्रों पर 80 प्रतिशत अनुदान।

3. **<u>यंत्रों का चिन्हीकरण</u>:**

भारत सरकार द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन हेतु निम्नवत यंत्र चिन्हित किए गए हैं:-

पैडी स्ट्राचापर, श्रेडर, मल्चर, श्रब मास्टर, रोटरी स्लेशर, हाइड्रोलिक रिवर्सेबुल एम0बी0 प्लाऊ, सुपर सीडर, बेलर, सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम (सुपर एस0एम0एस0), जीरो टिल सीड कम फर्टीड्रिल, हैप्पी सीडर, स्ट्रा रेक, क्राप रीपर व रीपर कम्बाइंडर **(यंत्रों की सूची तथा यंत्रों का अनुमानित मूल्य की तालिका-1 संलग्न)।**

इस योजना में रूपये 5.00 लाख तक के परियोजना लागत हेतु फसल अवशेष प्रबंधन हेतु उपयोगी कृषि यंत्रों (संलग्नक-1 पर अंकित यंत्र) में से कम से कम दो यंत्र अवश्य क्रय किये जायेंगे।

4. **<u>यंत्र क्रय करने तथा भुगतान की व्यवस्था:</u>**

(i) संबंधित समितियॉ एवं ग्राम पंचायतें अपनी आवश्यकतानुसार क्रय किये जाने वाले यंत्र चिन्हित कर कृषि विभाग द्वारा इन-सीटू योजना के अन्तर्गत इम्पैनल्ड कम्पनियों के माध्यम से निर्धारित दरों पर क्रय करने के लिए स्वतंत्र होंगी।

(ii) यंत्रों के मूल्य के 20 प्रतिशत का भुगतान सहकारी समितियों/गन्ना समितियों/ औद्यानिक समितियों/ग्राम पंचायतों द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।

http://upagriculture.gov.in

(iii) इन-सीटू योजना के अन्तर्गत क्रय किए जाने वाले फसल अवशेष प्रबंधन यंत्रों के मूल्य के 80 प्रतिशत (अधिकतम रूपये 4.00 लाख) का भुगतान कृषि विभाग द्वारा अग्रिम तौर पर ऑन-लाइन संबंधित समितियों/पंचायतों के खाते में उपलब्ध कराया जायेगा। संबंधित समितियों/पंचायतों के खाते में धनराशि हस्तान्तरित होने की तिथि से एक माह के अन्तर्गत यंत्र क्रय कर लिया जायेगा। खाते में जमा की गयी धनराशि पर अर्जित होने वाले ब्याज को कृषि विभाग को वापस किया जायेगा।

(iv) समितियॉ रूपये 5.00 लाख से रूपये 15.00 लाख तक अतिरिक्त रूप से फसल अवशेष प्रबंधन के अलावा अन्य यंत्र भी क्रय करना चाहते हैं तो उन्हे पोर्टल पर टोकन निकालने की प्रक्रिया से छूट दी जायेगी। यह यंत्र सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना के अन्तर्गत विभागीय पोर्टल पर निर्धारित यंत्र प्रक्रिया के तहत क्रय कर सकते हैं। इस पर भी 80 प्रतिशत अनुदान अनुमन्य है। रूपये 5.00 लाख से 15.00 लाख तक के कृषि यंत्र हेतु भुगतान की व्यवस्था विभागीय पोर्टल पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार यंत्रों के चयन, क्रय एवं सत्यापन के उपरान्त की जायेगी। इस योजना के अन्तर्गत यू0 पी0 स्टेट एग्रो इण्ड्रस्ट्रियल कारपोरेशन लि0 के माध्यम से भी यंत्र क्रय किए जा सकेंगे।

(v) ऐसी चयनित सहकारी समितियॉ, गन्ना समितियॉ, उद्यानिकी समितियॉ एवं पंचायतें जो कि इन-सीटू योजना से रूपये 5.00 लाख तक के यंत्र ले रही हैं तथा रूपये 5.00 लाख से 15.00 लाख तक के अन्य यंत्र भी सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना से क्रय करना चाहती हैं तो ऐसी चयनित समितियों द्वारा विकल्प देने पर इनका स्वत: चयन रूपये 5.00 लाख से 15.00 लाख परियोजना लागत के फार्म मशीनरी बैंक स्थापना के लिए हो जायगा। इनको पोर्टल पर पुन: चयन की प्रक्रिया से मुक्त रखा जायेगा तथा टोकन निकालने एवं धरोहर राशि जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह समिति/पंचायत पोर्टल पर एस0एम0ए0एम0 योजना के निर्धारित यंत्रों का अपनी आवश्यकतानुसार क्रय कर विभागीय पोर्टल पर बिल अपलोड करेंगे तथा यंत्रों के सत्यापन के उपरान्त निर्धारित विभागीय प्रक्रिया के अनुसार यंत्रों के लागत का 80 प्रतिशत अधिकतम रूपये 8.00 लाख अनुदान का भुगतान किया जायेगा। रूपये 5.00 लाख से 15.00 लाख तक के लिए कोई अग्रिम धनराशि नहीं दी जायेगी। संस्था को स्वयं अपने निजी बजट से यंत्रों का क्रय करना होगा तथा कृषि विभाग द्वारा निर्धारित अनुदान का भुगतान कोषागार के माध्यम से किया जायेगा।

5. **<u>समितियों/ग्राम पंचायतों के चयन की प्रक्रिया:</u>**

(i) जिन जनपदों में पराली जलाने की घटनाएं ज्यादा घटी हैं उन जनपदों में कार्यरत लाभकारी समितियों एवं पंचायतों हेतु जनपदवार फार्म मशीनरी बैंक के लक्ष्य आवंटित किए जायेंगे।

(ii) इन-सीटू योजना के अन्तर्गत निम्नवत जनपद स्तरीय कार्यकारी समिति गठित है:-

| क्र0सं0 | पदनाम | समिति का पद |
|---|---|---|
| 1 | जिलाधिकारी | अध्यक्ष |
| 2 | उप कृषि निदेशक | सदस्य-सचिव |
| 3 | जिला कृषि अधिकारी | सह सदस्य सचिव |
| 4 | जिला गन्ना अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी, जिला पंचायती राज अधिकारी, सहायक निबंधक, सहकारिता, राज्य कृषि विश्वविद्यालय/आई0सी0ए0 आर0 संस्थान, कृषि विज्ञान केन्द्र, लीड बैंक/नाबार्ड प्रत्येक से एक प्रतिनिधि। जनपद में सेल्फ हेल्प ग्रुप (एस0एच0जी0) के प्रतिनिधि/प्रगतिशील कृषक | विशेषज्ञ सदस्य |

(iii) योजना में फार्म मशीनरी बैंक स्थापना हेतु संबंधित सहकारी समितियों, गन्ना समितियों, औद्यानिक समितियों एवं पचायतों द्वारा विधिवत प्रस्ताव सहित अपनी सहमति जनपदीय उप कृषि निदेशक को देनी होगी जिसमें यह उल्लेख होगा कि वह यंत्रों को प्राप्त करने हेतु अपना 20 प्रतिशत अंश देने में सहमत हैं तथा यंत्रों का रख-रखाव, धनराशि प्राप्त होने के एक माह के अन्तर्गत यंत्रों का क्रय तथा इच्छुक कृषकों को किराये पर यंत्र उपलब्ध करायेंगे तथा इस संबंध में केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन करेंगे।

(iv) फार्म मशीनरी बैंक स्थापना हेतु उपरोक्तानुसार इच्छुक किसान सहकारी समितियों, गन्ना समितियों, औद्यानिक समितियों एवं पंचायतों की सूची तैयार कर जिला स्तरीय कार्यकारी समिति के समक्ष चयन एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। उक्त कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदित सूची बैंक खाते के पूर्ण विवरण के साथ संयुक्त कृषि निदेशक (अभियंत्रण) को जनपदीय उप कृषि निदेशक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

(v) सूची में संबंधित समिति/पंचायत का जनपदवार नाम, पता एवं बैंक खाते का विवरण आई0एफ0एस0सी0 कोड सहित संबंधित विभाग के नोडल अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी तथा जनपदीय उप कृषि निदेशक, उप कृषि निदेशक/संयुक्त कृषि निदेशक, अभियंत्रण द्वारा संबंधित पंचायत के बैंक खाते में हस्तान्तरित की जायेगी।

(vi) धनराशि प्राप्त होने की रसीद सहायक निबंधक, सहकारी समितियॉ/जिला गन्ना अधिकारी/जिला उद्यान अधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर जनपदीय उप कृषि निदेशक को प्राप्त करायी जायेगी तथा जनपदीय उप कृषि निदेशक द्वारा पोर्टल पर अपलोड कर मुख्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।

(vii) समितियों एवं पंचायतों द्वारा निर्धारित समय के अन्तर्गत कृषि यंत्रों का क्रय, रख-रखाव किराये पर कृषकों को यंत्र उपलब्ध कराना, अभिलेखों का रख-रखाव एवं अनुरक्षण आदि का अनुश्रवण करने का दायित्व सहायक निबंधक, सहकारिता, जिला गन्ना अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी अपने से संबंधित समिति/पंचायत हेतु होगा।

**6. <u>यंत्रों के सत्यापन की प्रक्रिया</u>:**

(i) यंत्रों का सत्यापन उप कृषि निदेशक द्वारा नामित अधिकारी/कर्मचारी तथा सहायक निबंधक, सहकारी समिति (किसान सहकारी समिति हेतु), जिला गन्ना अधिकारी (गन्ना समिति हेतु), जिला उद्यान अधिकारी (औद्यानिक समितियों हेतु) तथा जिला पंचायत राज अधिकारी (पंचायतों हेतु) द्वारा नामित अधिकारी/कर्मचारी के साथ संयुक्त रूप से किया जायेगा तथा सत्यापन आख्या एवं सत्यापित बिल विभागीय पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड किए जायेंगे। मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक प्रभावी समीक्षा कर अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे।

(ii) सत्यापन के दौरान यह देखा जायेगा कि यंत्र पर अंकित सीरियल नम्बर एवं बिल पर अंकित सीरियल नम्बर एक है तथा बिल में अंकित यंत्र और मौके पर उपलब्ध यंत्र समान हों।

(iii) यंत्र एवं संबंधित समिति के अध्यक्ष/सदस्य का विवरण/फोटो खींचकर भारत सरकार द्वारा विकसित किए गए सी0एच0सी0/फार्म मोबाइल एप पर भी अनिवार्यत: अपलोड की जायेगी।

**7. <u>यंत्रों को किराये पर देने की व्यवस्था प्रति घन्टा किराये का निर्धारण एवं अनुरक्षण:</u>**

''यंत्रों को किराये पर कृषकों को उपलब्ध कराने, किराये का निर्धारण एवं इसके रख-रखाव तथा अनुरक्षण हेतु शासनादेश संख्या: 1996/12-2-2020-14/2016 टी0सी0 दिनांक 23 अक्टूबर, 2020 के अनुक्रम में जिला स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा दर निर्धारण इस प्रकार किया जायेगा कि ग्राम पंचायतों द्वारा बाजार के किराये की दर से 50 प्रतिशत दर पर तथा शेष समितियों द्वारा बाजार दर के 75 प्रतिशत से अधिक न हो।''

8. <u>समय-सीमा:</u>

| क्र0सं0 | कार्य का विवरण | समय सीमा |
|---|---|---|
| 1 | जिला स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा समिति/पंचायत का चयन एवं अनुमोदन | दिनांक 30 जुलाई 2021 तक |
| 2 | अनुमोदित सूची निदेशालय को प्रेषित करना एवं धनराशि का हस्तान्तरण | दिनांक 15 अगस्त 2021 तक |
| 3 | यंत्रों का क्रय | दिनांक 15 सितम्बर 2021 तक |
| 4 | यंत्रों का सत्यापन | दिनांक 05 अक्टूबर 2021 तक |

9. संबंधित प्रशासनिक विभागों द्वारा इस सम्बन्ध में पृथक से भी कार्यकारी आदेश निर्गत किये जायेंगे। सहकारिता विभाग, गन्ना विभाग, उद्यान विभाग एवं पंचायती राज विभाग जनपदवार, समितिवार फार्म मशीनरी बैंक हेतु अपनी मांग सूची कृषि निदेशालय व संबंधत जनपदों को अधिकतम 15 दिन में उपलब्ध करायेंगे।

10. फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना हेतु समितियों/पंचायतों के जनपदवार निर्धारित लक्ष्यों **(संलग्न तालिका-2)** को कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा आवश्यकतानुसार परिवर्तित किया जा सकेगा।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

**<u>संलग्नक</u>:** यथोक्त तालिका-1 एवं 2

भवदीय,

( डॉ0 देवेश चतुर्वेदी )
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या: 34/2021/1372938(1)/12-2099/96/2021-तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन,
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग/गन्ना विभाग/उद्यान विभाग/पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन,
3. प्रबंध निदेशक, यू0 पी0 स्टेट एग्रो इण्ड्रस्ट्रियल कारपोरेशन लि0, लखनऊ,
4. समस्त उप कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
5. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

( शत्रुन्जय कुमार सिंह )
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in